उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A. Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

संख्या 2136 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/डीआर/ दिनांक 13/05/2025

कार्यालय ज्ञाप

विषय :–पेन्शनरों/पारिवारिक पेन्शनरों को मंहगाई राहत की स्वीकृति।

दिनांक 01 जनवरी, 2016 से वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक कारपोरेशन ज्ञाप संख्या–13535–नि(मा0सं0)/उपाकालि/7वांवे0आ0/पेंशन दिनांक 28–11–2017 एवं सपठित ज्ञाप संख्या 937–अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/S-I/डीआर, दिनांक 15–03–2024, जिसके अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2024 से 53 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत अनुमन्य थी, के क्रम में उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के शासनादेश संख्या–295036/XXVII(10)/E-22807/2022 दिनांक 06.05.2025 की अनुरूपता में, ऐसे समस्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड से पेंशन/पारिवारिक पेंशन देय है, को **दिनांक 01–01–2025 से 55 प्रतिशत** की दर से मंहगाई राहत दिए जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– उपरोक्त स्वीकृत मंहगाई भत्ते की देय धनराशि की गणनाक्रम में निकटतम एक रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात् 50 पैसे और उससे अधिक का पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।

3– उपर्युक्तानुसार देय मंहगाई राहत का भुगतान उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड के सम्बन्धित पेंशन खण्डों द्वारा उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 449/04/248/नौ–3–ऊ0/पेन्शन/02, दि0 09–03–2004 की अनुरूपता में सम्बन्धित कोषागारों के माध्यम से किया जाएगा। जिन पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के पी0पी0ओ0 कोषागारों को प्रेषित किये जा चुके हैं उन्हें पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिए अलग से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4– मंहगाई राहत की स्वीकृति हेतु पूर्व में निर्गत आदेशों में उल्लिखित अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् प्रवृत्त रहेंगे।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2136 –अधि0निदे0(मा0सं0)/उपाकालि/डीआर, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2– समस्त पूर्णकालिक निदेशक, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3– समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर–1)/मुख्य अभियन्ता(स्तर–2), उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
4– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड शासन, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
5– समस्त जिला कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– समस्त महाप्रबन्धक, उ0पा0का0लि0, ...।
7– समस्त उपमहाप्रबन्धक(वित्त), उ0पा0का0लि0, ...।
8– समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, उ0पा0का0लि0, ...।
9– समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0पा0का0लि0, ...।
10– अधिशासी अभियन्ता(सू0प्रौ0), उपाकालि, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
11– समस्त अनुभाग, उ0पा0का0लि0, वि0क्रा0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
12– कट फाईल।

[डॉ0 आर0 जे0 मलिक]
अधिशासी निदेशक(मा0सं0)